दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

सड़क दुर्घटना में 16 वर्षीय बालक का निधन

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना भूपदेवपुर अन्तर्गत ग्राम भूपदेवपुर में रहने वाला जयकिशन पटेल पिता हरिराम पटेल उम्र 16 साल गांव के धरम साय यादव के पैरा को ट्रेक्टर से लाकर ट्रेक्टर एवं पैरा को छोड़ने उसके घर गये थे। दोपहर करीब 12.00 बजे ट्रेक्टर से पैरा को छोडकर जय किशन वहां से मोटर सायकल में धनेश बंजारे के साथ समोसा लेने भूपदेवपुर रेल्वे स्टेशन तरफ गया था कि लगभग 12:30 बजे ग्रामीण बैंक के पास हाइवा ट्रक क्रमांक सीजी 13एलए 2292 का चालक जयकिशन के मोटर सायकल को एक्सीडेंट कर दिया है। जयकिशन मौके पर ही फौत हो गया उसके साथी धनेश बंजारे को ज्यादा चोट नहीं आई है। घटना के संबंध में मृतक के पिता के रिपोर्ट पर हाइवा ट्रक क्रमांक सीजी 13 एलए2292 के चालक के विरूद्ध थाना भूपदेवपुर में अप.क्र. 201/19 धारा 304 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

रूमकेरा के प्रधान पाठक महेन्द्र राम खण्डेल निलंबित

न्याय साक्षी/रायगढ़। विकासखण्ड घरघोड़ा शासकीय प्राथमिक शाला रूमकेरा के प्रधान पाठक महेन्द्र राम खण्डेल के विरूद्ध अध्यक्ष शाला प्रबंध समिति एवं सदस्यों द्वारा की गई शिकायत में प्रधान पाठक खण्डेल के द्वारा शराब पीकर विद्यालय आना एवं अध्ययन-अध्यापन के प्रति रूचि नहीं लेना की पुष्टि होना पाया गया। जिला शिक्षा अधिकारी मनिन्द्र श्रीवास्तव ने प्रधान पाठक महेन्द्र राम खण्डेल के उक्त कृत्य के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में प्रधान पाठक खण्डेल का मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी घरघोड़ा निर्धारित किया गया है तथा उन्हें इस अवधि नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

वार्ड क्रमांक 42 की प्रत्याशी गंगोत्री मानिकपुरी 2 दिवस के भीतर व्यय लेखा प्रस्तुत करें

न्याय साक्षी/रायगढ़। छ.ग.नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा का पालन करते हुए छ.ग.राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति)आदेश के तहत निर्वाचन व्यय संपरीक्षक को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु 12 एवं 17 दिसम्बर 2019 हेतु तिथि निर्धारित की गई थी। ज्ञात हो कि वार्ड क्रमांक 42 के निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती गंगोत्री मानिकपुरी द्वारा 17 दिसम्बर को व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है। नगर पालिक निगम रायगढ़ के उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित को 2 दिवस के अंदर अपना स्पष्टीकरण सहित निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु कहा है। अन्यथा आईपीसी की धारा 171-आई के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर समस्त अनुज्ञा/वाहन अनुमति के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

19 दिसम्बर को शाम 5 बजे से 21 दिसम्बर की मतदान समाप्ति तक जिले के समस्त देशी व विदेशी मंदिरा दुकानें रहेगी बंद

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की उपधारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिकाओं के आम निर्वाचन/ उप निर्वाचन 2019 हेतु मतदान के अवसर पर रायगढ़ जिले के संबंधित नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत निर्वाचन क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2घघ) एवं विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ) दुकानें, एफ.एल-3 होटल बार तथा भण्डारण भाण्डागार, रायगढ़ तथा सारंगढ़ को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से 19 दिसम्बर की शाम 5 बजे से 21 दिसम्बर को मतदान समाप्ति तक बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। कलेक्टर ने संबंधित विभाग प्रमुख को शुष्क अवधि में मदिरा का किसी भी अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थान से बिक्री एवं परिवहन न होने पाए इसका कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।

40 हजार कॉलर्स के इवेंट पर मौके पर पहुंची रायनो

प्रारंभ के प्रथम वर्ष में डायल 112 रायगढ़ को मिले 39,402 इवेंट

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के 11 जिलों में 4 सितंबर 2018 को प्रारंभ की गई आपातकालीन सेवा डायल 112 जिस में कॉल करने पर कॉलर को पुलिस, फायर एवं एंबुलेंस की सहायता प्राप्त होती है। रायगढ़ जिले में भी 4 सितंबर 2018 से डायल 112 का विधिवत शुभारंभ पुलिस कंट्रोल रूम से किया गया है। रायगढ़ जिले को 20 चार पहिया तथा 03 दुपहिया वाहन पुलिस मुख्यालय से डायल 112 को प्राप्त है, रायगढ़ में संचालित ERV (emergency response vehicle) को रायनो नाम दिया गया है।

रायगढ़ ईव्हीआर रायनो मौके पर

प्रारंभ के प्रथम वर्ष में (12.12.19 तक) रायगढ़ डायल 112 को 39,402 कलर्स ने कॉल कर रोड एक्सीडेंट, जहर सेवहन, सांप, बिच्छू काटने, फायर, गुम इंसान आदि विभिन्न प्रकार के इवेंट दिया गया है जिसमें पहुंचकर पीड़ित की सहायता की गई है।

डायल 112 सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट के मामलों में प्रभावशाली रहा है। अब तक डायल 112 रायगढ़ को 1,612 रोड एक्सीडेंट का इवेंट प्राप्त हुआ है। वही जहर सेवन के 178, सांप बिच्छू भालू काटने के 60, असमय स्वास्थ्य खराब होने से 332 मामलों में रायनो ने लोगों की जान बचाई।

इसी प्रकार 23 ऐसे गुम इंसान मामले मिले जिसमें अपनों से बिछड़े को उनके परिजनों से मिलाया गया। 955 आगजनी के इवेंट पर रायनो के आरक्षकों द्वारा सूझबूझ के साथ फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाये। डायल 112 सेवा पारिवारिक झगड़ों में भी काफी सहायक सिद्ध रहा है इस अंतराल में पारिवारिक झगड़े के 3,629 इवेंट प्राप्त हुए तथा असामाजिक तत्वों के लड़ाई झगड़े के करीब 8098 इवेंट पर ईव्हीआर रायनो वाहन मौके पर पहुंचकर माहौल शांत कराया गया। कई ऐसे इवेंट डायल 112 को प्राप्त होते हैं जिसमें कॉलर/प्रार्थी पक्ष रिपोर्ट लिखने थाना जाना चाहता था उन्हें भी थाने पहुंचा कर उनका रिपोर्ट लिखवाया गया है। आमजन द्वारा भी राज्य शासन की इस सेवा की सराहना की जा रही है वहीं प्रतिमाह पुलिस मुख्यालय तथा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सराहनीय कार्य करने वाले रायनो स्टाफ को पुरस्कृत भी किया जा रहा है।

बरमकेला पुलिस ने पिकअप वाहन से परिवहन की जा रही 39 कट्टा धान को पकड़ा

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक डी.के. मार्कण्डेय, सउनि. विजय गोपाल एवं आरक्षक विजय यादव के द्वारा दिनाँक 18.12.19 के दोपहर को सावतकुट एवं बिलाईगढ़ के बीच अवैध धान परिवहन को लेकर वाहनों को चेक किया जा रहा था। इसी दरम्यान तेज गति से आ रही वाहन क्रमांक सीजी 13 एल/2449 को सउनि विजय गोपाल द्वारा हाथ देकर रोकवाने का प्रयास किया गया पर पिकअप चालक तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाकर भागने लगा जिसे पीछा कर पकडे। पिकअप चालक ने अपना नाम संतोष यादव पिता भोलाराम यादव उम्र 34 साल निवासी बिलाईगढ ब थाना बरमकेला बताया। चालक के पास धान का कोई भी कागजात नही था जिसे थाना लाया गया एवं वाहन चालक के विरूद्ध अप.क्र. 233/19 धारा 279 भादंवि की कार्यवाही की गई एवं बरमकेला मंडी सचिव चरणमगिरी गोस्वामी एवं उप निरीक्षक जे.पी. नंदे के द्वारा अवैध धान को जप्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर वाहन को बरमकेला पुलिस के सुपुर्द किया गया है।

19 दिसम्बर की रात 12 बजे तक प्रत्याशी कर सकेंगे प्रचार-प्रसार

» मतदान के एक दिन पूर्व कोई सार्वजनिक सभा नहीं होगी

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 के लिए रायगढ़ जिले के संबंधित नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशी 19 दिसम्बर की रात 12 बजे तक प्रचार-प्रसार कर सकेंगे। जिसमें 19 दिसम्बर के रात 10 बजे तक लाऊडस्पीकर सहित एवं 10 बजे के बाद 12 बजे तक जनसंपर्क के माध्यम से सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार प्रचार कर सकेंगे।

छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 की धारा 3 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में उस दिनांक या उन दिनांकों को जिसको या जिनको कि उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए मतदान किया जाए या उक्त दिनांक या दिनांकों के एक दिन पूर्व कोई सार्वजनिक सभा न बुलायेगा, न करेगा और न ही उसमें उपस्थित होगा।

गायत्री बाई राठिया राष्ट्रीय पुरस्कार से होंगी सम्मानित

» प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत किया बेहतरीन कार्य
» बेस्ट फील्ड फंक्शनरीज के लिए मिलेगा सम्मान

न्याय साक्षी/रायगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत फील्ड लेवल में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए धरमजयगढ़ विकासखण्ड के ग्राम पोंडीछाल की सरपंच श्रीमती गायत्री बाई राठिया बेस्ट फील्ड फंक्शनरीज' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होंगी।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बेहतरीन कार्य करने के लिए श्रीमती गायत्री बाई राठिया को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत शासन द्वारा नई दिल्ली में 19 दिसम्बर को नास्क काम्पलेक्स, पूसा, नई दिल्ली में पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इनके द्वारा फील्ड में काफी सक्रियतापूर्वक कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 99 आवास पूर्ण किया गया है।

धान खरीदी में लापरवाही : सहायक प्रबंधक और कम्प्यूटर ऑपरेटर निलंबित

रायपुर। धान खरीदी कार्य में लापरवाही और अनियमितता बरतने पर कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विकास खंड के सहकारी समिति अमलीपारा के सहायक समिति प्रबंधक देव करण वर्मा और कम्प्यूटर ऑपरेटर डेविड टंडन को तत्काल निलंबित कर दिया है।

कलेक्टर ने अमलीपारा के धान उपार्जन केंद्र में कम्प्यूटर कक्ष, लेखा कक्ष का निरीक्षण करने के बाद धान बेचने आए किसानों से चर्चा की। किसानों ने बताया कि उन्हें धान बेचने के लिए बार-बार धान उर्पाजन केन्द्र आना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि पंजीयन 4 दिसंबर को हुआ था और टोकन के लिए 11 दिसंबर का समय दिया गया था। इसके बाद निर्धारित दिन में आने के बाद भी न ही समय पर टोकन जारी किया जा रहा है और न ही समय पर धान की खरीदी की जा रही है।

कलेक्टर ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए समिति प्रबंधक और ऑपरेटर को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बरसात को देखते हुए धान के रख-रखाव, जमीन की नमी एवं पानी से बचाने ड्रेनेज, तारपोलीन व स्टेकिंग की व्यवस्था समुचित नही पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और नोडल अधिकारी को मापदंडो के अनुरूप इसे तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए।

बिलासपुर के राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम द्वारा सेवा सहकारी समिति सकरी-बहतराई में निरीक्षण के दौरान अव्यवस्थित रूप से धान खरीदी करने, खरीदे गये धान का आधा-अधूरे स्टेक बनाने, केप-कव्हर से ढंका हुआ नहीं पाये जाने तथा खरीदा गया धान अस्त-व्यस्त रखे होने के कारण समिति प्रबंधक विवेक द्विवेदी के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं को दिया गया है। साथ ही इसी धान उपार्जन केन्द्र में नियुक्त नोडल अधिकारी श्रीमती अश्वनी डहरिया ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को धान खरीदी अव्यवस्था हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

कबीरधाम जिले के खपरी, झलमला के धान उपार्जन केन्द्र प्रभारी राकेश चन्द्रवशी को उनके लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से कार्य से पृथक कर दिया गया है। जांच में पाया गया कि चन्द्रवंशी ने एक ही व्यक्ति को एक दिन में दो टोकन जारी किया था।

जांजगीर-चांपा जिले के धान खरीदी सतर्कता दल द्वारा सोमवार को बलोदा विकास खंड के धान खरीदी केन्द्र खैजा में करीब 72 क्विंटल धान जप्त करने की कार्रवाई की गई। बलोदा धान खरीदी सतर्कता दल के नायब तहसीलदार, सहकारी बैंक सुपरवाइजर, खाद्य और सहकारिता निरीक द्वारा धान खरीदी केंद्र खैजा की जांच की गई। इस केन्द्र में बिना तौल कि, 180 कट्टी करीब 72 क्विंटल धान प्लास्टिक की बोरियों में रखा हुआ पाया गया। धान खरीदी प्रभारी से पूछे जाने पर कोई समाधान कारक जवाब नहीं दे पाने के कारण सतर्कता दल ने उक्त धान जप्त करने की कार्रवाई की।

उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने नवदंपत्तियों को दिया आशीर्वाद

» मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :

रायपुर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सुकमा के ग्राम गोंगला में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 265 जोड़ों ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। कार्यक्रम में चार जोड़ों ने मसीही परम्परा के अनुसार विवाह किया और शेष जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सात फेरे लेकर जीवन भर एक-दूसरे का साथ निभाने का वचन लिया। वाणिज्य एवं उद्योग तथा वाणिज्य कर (आबकारी) मंत्री कवासी लखमा ने नवदंपत्तियों को सुखमय जीवन की शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। इससे पहले गोंगला के ग्राम पंचायत भवन से बैंड बाजे के साथ दुल्हों की बारात निकली, जहां ग्रामीणों और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने शामिल होकर नवदम्पत्तियों को शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर मंत्री लखमा ने कहा कि बस्तर की भूमि से ही सामूहिक विवाह की परम्परा प्रारंभ हुई थी। उन्होंने कहा कि निर्धन बेटियों के विवाह में किसी प्रकार की कमी न हो, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़े के विवाह पर अब 25 हजार रुपए खर्च करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि इससे नवदंपत्तियों को गृहस्थ जीवन में लगने वाली सामग्री उपहार में देने के साथ ही नगद राशि भी प्रदान की जाती है।

लखमा ने कहा कि सामूहिक विवाह से आज की महंगाई के दौर में बेटियों के विवाह की चिंता गरीब माता-पिता को नहीं होती और उनके विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों के विवाह की चिंता दूर होने से अब वे बोझ नहीं रह गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार किसानों और गरीबों के हित के लिए कार्य करने वाली सरकार है। इस सरकार ने किसानों के धान को न्यूनतम 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदने के साथ ही किसानों का कर्ज माफ भी किया था। इसी सरकार ने तेन्दूपत्ता संग्राहकों को तोहफा देते हुए 2500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर को बढ़ा कर 4000 रुपए किया है और बिजली बिल हाफ कर उपभोक्ताओं को राहत दी है।

डद्योग मंत्री ने कहा कि हमारी बेटियां स्वस्थ रहें और सुपोषित रहें। इसके लिए उन्हें अच्छे आहार की आवश्यकता है। बेटियों के साथ ही हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बनाने के लिए सुपोषण योजना का संचालन भी किया जा रहा है। इसके तहत गर्भवती और शिशुवती महिलाओं तथा छोटे बच्चों को गर्म भोजन व सप्ताह में तीन दिन अंडा, तीन दिन रागी हलवा, गुड़ की टिक्की और प्रोटीन बिस्किट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे शिक्षित हों, इसलिए जगरगुण्डा, किस्टारम और भेज्जी सहित 101 स्थानों पर बंद स्कूलों को पुनः प्रारंभ किया गया। इन स्कूलों में स्थानीय युवाओं को ही शिक्षण कार्य का दायित्व भी सौंपा गया है। उद्योग मंत्री ने इस सामूहिक विवाह के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की सराहना की और नवदंपत्तियों के साथ ही आयोजनकर्ताओं को बधाई दी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधिगणों के साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नूतन कुमार कंवर, डिप्टी कलेक्टर नभ एल स्माईल, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी अतुल परिहार सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

मतदाताओं को जागरूक करने मतदान केन्द्रों में मतदान प्रक्रिया से संबंधित पोस्टर एवं सेल्फी जोन पोस्टर लगाने के निर्देश

रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी 21 दिसम्बर को होने वाले नगर पालिका आम निर्वाचन के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदान केन्द्रों में दो पोस्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी परिपत्र में कहा गया है कि मतदान दिवस के लिए दो पोस्टरों (सेल्फी जोन एवं मतदान की प्रक्रिया के संबंध में) प्रकाशित कराया गया है। इन दोनों पोस्टरों को प्रत्येक मतदान केन्द्र में प्रदर्शित किया जाए। पोस्टर नगरीय निकायों के मतदान केन्द्रों की संख्या के हिसाब से प्रदाय किया जा चुका है।

परिपत्र में कहा गया है कि सेल्फी जोन का पोस्टर प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर ऐसे स्थान पर लगाया जाए जहां मतदाता मत देने के बाद पोस्टर के साथ अपनी सेल्फी ले सके तथा मतदान की प्रक्रिया बाधित नहीं हो। दूसरा पोस्टर मतदान प्रक्रिया से संबंधित है जिसे मतदान केन्द्र के बाहर सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाए। इस पोस्टर में मतदान हेतु अनुमोदित पहचान दस्तावेजों की जानकारी तथा मत डालने की प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480